फेडरेशन प्रखण्डों के विद्यालयों का

सर्वेक्षण रिपोर्ट

(1 जनवरी 2009 – मार्च 2009)

क्र. सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
1.	**परिचयः** 1.1 भारत में शिक्षा कार्यक्रम 1.2 महिला समाख्या 1.3 अध्ययन का क्षेत्र– फेडरेशन प्रखण्ड़ का चुनाव क्यों?	
2.	**सर्वेक्षणः** 2.1 उद्देश्य 2.2 आँकडे एकत्रित करने के तरीके एवं प्रक्रिया	
3.	**सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े (विश्लेषण एवं निष्कर्ष)** 3.1 तालिका– सर्वेक्षण में शामिल प्रखण्ड़ एवं जिले का विवरण 3.2 विद्यालय का स्तर 3.3 विद्यालय के प्रकार 3.4 विद्यालय में कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या 3.5 विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधा 3.6 विद्यालय में शिक्षकगण एवं सेवादाता की संख्या 3.7 विद्यालय के वर्गानुसार मध्याह्न भोजन की उपलब्धता 3.8 मध्याह्न भोजन बनाने का स्थान 3.9 विद्यालय में लड़के व लड़कियों के लिए उपलब्ध शौचालय एवं मूत्रालय 3.10 विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग से शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या 3.11 विद्यालय में पानी की सुविधा	
4.	**मुद्दा आधारित समूह चर्चाः** 4.1 परिचय 4.2 उद्देश्य 4.3 नियम 4.4 मुद्दा आधारित समूह चर्चा की प्रक्रिया 4.5 विश्लेषण एवं निष्कर्ष	
5.	**परिणामः**	
6.	**सुझाव**	
7.	**निष्कर्षः**	
8.	**संलग्नक** 8.1 प्रखण्ड़वार आँकड़े 8.2 सर्वेक्षण प्रपत्र 8.3 मुद्दा आधारित समूह चर्चा के प्रश्नावली 8.4	

परिचय

विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाता है। परिवार के बाद विद्यालय ही बच्चों के सृजनात्मक विकास हेतु महत्वएपूर्ण भूमिका अदा करती हैं विकास के इस क्रम में विद्यालय के वातावरण एवं वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की अहम भूमिका होती है जो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं। शिक्षा न केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक होता है वरन् उनके तार्किक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वे प्रत्येक परिस्थितियों में अर्थपूर्ण निर्णय ले सके तथा उसके अनुसार स्वभाव व सोच में भी बदलाव ला पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बच्चे बड़े तस्वीर में अपनी पहचान बनाना सीखते है तथा कुछ समय बाद, उनमें जीवन पर आधारित नैतिक मूल्यों का विकास होता है तथा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं।

विद्यालय बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अतः सभी बच्चों को विशेषकर लड़कियों को स्कूल से जोड़ा जाना अनिवार्य है। यह उनका अधिकार ही नहीं अपितु हमारा कर्त्तव्य भी है। क्योंकि यह लड़कियों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के साथ – साथ उनमें क्षमता, सूचना तथा इन सबसे ऊपर उन्हें समझौते की बातचीत में भी आत्म निर्भर बनाता है। उनमें बलवत् होता आत्मविश्वास समाज में बराबर का अधिकार दिलाने में सहायक होता है।

पिछले दो दशक से सरकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक बल दे रही है, जिसके अंतर्गत सभी बालक–बालिका, किशोरी एवं पौढ़ महिला व पुरूष आदि के लिए सुलभ शिक्षा मुहैया कराने में प्रयासरत है। जिससे संपूर्ण शिक्षा संबंधी लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 7.6 लाख ग्रामीण विद्यालय है जिसमें 8 करोड़ बच्चे प्राथमिक और हाई स्कूलों दोनों में जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 1991 में सबको शिक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालय की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया एवं स्कूलों की संख्या में वृद्धि भी की गई। परंतु कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों की छीजन की स्थिति को देखा जा सकता है।

भारत सरकार ने पुनः 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के तहत 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम एक प्रयास है जो प्रारंभिक (elementary) शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाए। यह मुख्य रूप से जीवन कौशल में सुधार हेतु अवसर प्रदान करता है। यह साथ ही समुदाय आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्थाएँ भी करता हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि विद्यालय पद्धति पूर्णतः सामूदायिक स्वामित्व द्वारा संचालित

होता है। झारखण्ड सरकार द्वारा इसे बड़े चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ के प्रत्येक गाँव में विद्यमान विद्यालय की स्थिति में सुधार लाने हेतु मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयी हैं तथा करायी जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति संख्या में वृद्धि हुई है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, पेयजल एवं शौचालय सुविधा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद बच्चों के छीजन दर में पूर्णतः कमी नहीं आयी है।

<u>महिला समाख्या – एक परिचय</u>

झारखण्ड महिला समाख्या की शुरूआत वर्ष 1992 के बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत हुई। उस समय इस परियोजना के अंतर्गत राँची के तीन प्रखण्डों तथा पूर्वी सिंहभूम के 2 प्रखण्डों को शामिल किया गया। इसी क्रम में 1997–99 में चतरा तथा पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भी महिला समाख्या कार्यक्रम मुख्यतः 4 जिले चतरा, राँची, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम के उन प्रखण्डों के 3308 गाँवों में संचालित था। आगे चलकर वर्ष 2006 में महिला समाख्या का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया, जिसमें फलस्वरूप जून 2007 से महिला समाख्या एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करना शुरू किया।

वर्तमान में झारखण्ड महिला समाख्या कार्यक्रम कुल 11 जिले के 63 प्रखण्ड में संचालित है, जिसमें 13 फेडरेशन प्रखंड शामिल है। झारखण्ड महिला समाख्या मुलतः 6 मुद्दों जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता एवं फेडरेशन शामिल हैं। महिला समाख्या का मानना है कि इन 6 मुद्दों पर काम करते हुए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषयों पर परिपक्व समझ एवं पकड़ बन पायेगी, जो अपने आप में स्वायत होने के स्तर पर है।

विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महिला समाख्या के आच्छादित फेडरेशन जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया है। चूँकि महिला समाख्या की महिलाएँ सीधे रूप से मध्याह्न भोजन, सरस्वती वाहिनी में सेवादाता के रूप में कार्य कर रही है तथा कुछ महिलाएँ ग्राम शिक्षा समिति की सदस्य भी हैं, इस कारण से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पेयजल एवं शौचालय की वस्तु स्थिति से अवगत भी है। इसलिए इसके सही एवं पूर्ण जानकारी को एकत्रित करने हेतु महिला समाख्या के फेडरेशन समूहों द्वारा फेडरेशन प्रखण्ड में यह सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वे में 6 जिलों के 13 फेडरेशन प्रखण्ड का चुनाव किया गया जिसमें 26 पंचायत के कुल 552 महिला समाख्या के आच्छादित गाँव को लिया गया जिसमें 561 विद्यालय शामिल है। चूंकि महिला समाख्या की समूह महिलाएँ सीधे तौर पर मध्याह्न भोजन, सरस्वती वाहिनी से जुड़ी है तथा ग्राम शिक्षा समिति की सदस्य होने की वजह से गाँव में बच्चों की विद्यालय जाने की अनियमितताएँ से अवगत भी है, इसलिए पेयजल, शौचालय एवं विद्यालय में विद्यमान अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया ताकि आने वाले

समय में महिला समाख्या से जुड़े फेडरेशन समूह सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष के आधार पर भविष्य में अपनी कार्य योजना तथा हस्तक्षेप की रणनीति तैयार कर सकेंगी।

फेडरेशन की महिलाओं के प्रस्ताव के अनुरूप सर्वेक्षण प्रपत्र का निर्माण किया गया, जिससे विद्यालय में विद्यमान प्राप्त व अप्राप्त मूलभूत सुविधाओं का मूल्यांकन हो सके साथ ही इन सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु महिला समाख्या अपनी भूमिका/भागीदारी सुनिश्चत कर पाए। जिससे एक ओर बच्चों में छीजन दर को कम किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर इस विषय पर गाँव, समुदाय ओर सरकार को संवेदनशील बनाया जा सकेगा। फेडरेशन महिलाओं के अनुसार कभी भी ग्राम पंचायत की ओर से इस विषय पर पहल नहीं की गई जबकि यह समुदाय की प्राथमिक जरूरतों में शामिल है। इसलिए फेडरेशन महिला समाख्या ने इसे प्रमुखतः से लिया और इसमें सुधार करने हेतु कार्य करने की बात सोची ताकि शिक्षक, बच्चे और समुदाय इसके प्रति संवेदनशील हो सके।

महिला समाख्या इसमें हस्तक्षेप करने से पूर्व इसके लाभ–हानि की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जो इस प्रकार हें :–

लाभः

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- विद्यालय हेतु मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होगी।
- महिला भागीदारी बढ़ेगे।
- शौचालय निर्माण की संख्या बढ़ेगी।
- समुदाय स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा।
- ग्राम शिक्षा समिति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होगी।
- ग्राम पंचायत विद्यालय के प्रति सजग होगी।
- निगरानी समिति का निर्माण होगा।

हानिः

- पुरूष ठेकेदार का दबाव होगा।
- विद्यालय सुविधा हेतु राशि का बिचौलिये द्वारा गबन की संभावना।

1:2 अध्ययन का क्षेत्र– फेडरेशन प्रखण्ड़ का चुनाव क्यों?

अध्ययन के लिये कुल 11 महिला समाख्या आच्छादित जिलों मे से सिर्फ 6 जिले के 13 फेडरेशन प्रखण्ड़ का चुनाव किया गया है। चूँकि बाकी 5 जिले नये थे इसलिये

उनका चुनाव नहीं किया गया। कुल 13 फेडरेशन में से 5 फेडरेशन समूह पहले ही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा चुका है और इन फेडरेशन समूहों के द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसलिये उनकी मांग को देखते हुए महिला समाख्या ने यह कार्य फेडरेशन समूह को सौंपा। पुराने जिलों मे सर्वेक्षण कार्य कराने का एक और कारण यह है कि इन जिलों के कुछ प्रखण्ड़ों में मजबूत महिला समूह उभर कर सामने आयी हैं। इन समूह नें प्रखण्ड़ स्तर पर अपना निबंधन कराने के साथ–साथ इस प्रखण्ड़ के विकास की जिम्मेवारी लेते हुए महिला समाख्या के सभी मापदण्ड़ों को स्वयं कर रही है।

अध्याय – II

सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य एवं प्रक्रियाएँ

सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्यः

विद्यालय सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- विद्यालय में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ताकि छात्र–छात्राओं के छीजन (Drop Out) दर को रोका जा सके।
- जेण्डर के प्रति संवेदनशील बनाना।
- विद्यालय के प्रति गाँव, समुदाय, शिक्षकों को संवेदनशील बनाना।

आँकड़े एकत्रित करने के तरीके/सर्वेक्षण प्रक्रिया

सर्वेक्षण पूर्व प्रक्रियाएँ :

<u>फेडरेशन प्रखण्ड का चुनाव</u>

1) महिला समाख्या के छठे मुद्दे, फेडरेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ फेडरेशन प्रखण्ड को सर्वेक्षण के लिए चुना गया। कुल 13 फेडरेशन के 26 अच्छादित पंचायत से 552 गाँव को सर्वेक्षण हेतु चुनाव हुआ।

2) सर्वेक्षण हेतु प्रत्येक गाँव में विद्यमान, विद्यालय को चिन्हित कर संख्या एकत्रित किया गया।

3) विद्यालय प्रधानाचार्य को उत्तरदाता के रूप में चिन्हित किया गयातथा कुछ विद्यालयों में प्रधानाचार्य की लगातार अनुपस्थिति के कारण उत्तरदाता के विकल्प के रूप में विद्यालय के शिक्षक का चुनाव किया गया।

4) सर्वे प्रपत्र तैयार करना

   विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सूची तैयार की गई। सूची तैयार करने के पश्चात् उन्हें सूचीबद्ध कर प्रश्न में रूपांतरित किया गया।

5) सर्वेक्षण पूर्व शोधकर्त्ता द्वारा तैयारियाँ :–

- सर्वेक्षण पूर्व सर्वे प्रपत्र के नियमावली एवं प्रश्नों को साक्षात्कार लेनेवाले समूह/महिला समाख्या कर्मी को समझाया गया।
- सर्वेक्षण पूर्व सर्वेक्षण प्रपत्र का क्षेत्र जाँच करायी गयी ताकि अन्य छुटे हुए मुद्दों को भी जोड़ा जा सके।
- जिलावार फेडरेशन प्रखण्ड के अंतर्गत विद्यालयों की सूची तैयार की गई।
- साक्षात्कार विद्यालय में ही संपन्न किया गया।
- साक्षात्कार आरंभ करने से पूर्व पहले उत्तरदाता को सर्वेक्षण के उद्देश्य बताया गया एवं उनकी अनुमति ली गई।
- उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान से सुनकर सर्वे प्रपत्र भरा गया।
- सही उत्तर पर ☒ निशान लगाया गया।
- ऐसी सूचनाएँ जो प्रपत्र में नहीं थीं, उसे नोट किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान प्रक्रियाएँ

1) विद्यालय में उत्तरदाता प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में सहायक शिक्षक/शिक्षिकाओं से साक्षात्कार लिया गया।
2) विद्यालय के भवन, पेयजल सुविधा, मध्याह्न भोजन, शौचालय व मूत्रालय सुविधाओं पर प्रत्यक्ष रूप से नजर रखा गया।
3) मध्याह्न भोजन बनाने के तरीके (स्वच्छता संबंधी) पर ध्यान दिया गया।
4) सर्वेक्षण में स्थानीय महिला समूह, जे.आर.पी. तथा सी.आर.पी. की मदद ली गई।

सर्वेक्षण पश्चात् प्रक्रियाएँ

1) राज्य कार्यालय में जिलावार आँकड़ों का Tabulation किया गया।
2) Tabulation करते वक्त सर्वे प्रपत्र में छूटे हुए प्रश्नों पर सूचनाएँ एकत्रित किया गया।
3) Tabulation बाद आँकड़ों को जिलावार सूचीबद्ध किया गया।
4) सूचीबद्ध करने के पश्चात् सर्वे प्रपत्र में शामिल प्रत्येक तथ्यों का आकलन एवं विश्लेषण किया गया।
5) विश्लेषण पश्चात् प्रखण्ड एवं जिलावार रिर्पोट किया गया।
6) जिलावार सभी आंकड़ों का संकलन कम्प्यूटरीकृत किया गया।

अध्याय – III

आँकड़ों का विश्लेषण

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े एवं उनका विश्लेषण

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े एवं उनका विश्लेषण का विवरण नीचे तालिकाओं के माध्यम से दिया गया हैः–

तालिकाः– 1 सर्वेक्षण में शामिल प्रखंड एवं जिले

क्र. सं.	संबंधित जिले	कुल फेडरेशन प्रखण्ड	कुल पंचायत	कुल गाँव	कुल संबंधित स्कूल	कुल सर्वेक्षित प्रधानाध्यापक/ शिक्षक/शिक्षिकाएँ
1.	राँची	03	07	32	33	33
2.	खूँटी	02	03	18	20	20
3.	चतरा	03	06	69	69	69
4.	प0 सिंहभूम	01	03	82	84	84
5.	पूर्वी सिंहभूम	02	06	331	331	331
6.	सरायकेला–खरसावाँ	02	01	20	24	24
कुल		**13**	**26**	**552**	**561**	**561**

विश्लेषणः– उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि झारखण्ड महिला समाख्या ने 6 जिलों के 13 फेडरेशन प्रखण्ड को विद्यालय सर्वेक्षण हेतु चुना है। इस सर्वेक्षण में 26 पंचायत के कुल 552 गाँव को लिया गया है, जिसमें 561 सर्वेक्षित स्कूल शामिल है। इस प्रकार 561 शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की वर्त्तमान स्थिति की पुष्टि की गयी है।

निष्कर्षः– फेडरेशन प्रखण्ड़ के द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण स्वयं फेडरेशन के लिये एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला एक माध्यम बना जिससे फेडरेशन समूह सही परस्थितियों का आंकलन कर अपनी आगामी योजना में उसे शामिल कर सके। प्रखण्ड़ विद्यालय के प्रबंधन में सुधार ला सके साथ ही आगे चलकर किशोर–किशोरियों की उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके।

तालिका : 2 विद्यालय का स्तर

क्र. सं.	संबंधित जिले	प्रा. वि.	उ.प्रा.वि.	उ.म.वि.	म. वि.	उ. वि.	कस्तुरबा	कुल
1.	राँची	17	09	01	07	01	01	33
2.	खूँटी	07	10	01	01	01	–	20
3.	चतरा	07	36	19	03	04	–	69
4.	पूर्वी सिंहभूम	149	71	79	20	12	–	331
5.	प0 सिंहभूम	42	16	23	–	03	–	84
6.	सरायकेला–खरसावाँ	07	09	02	02	03	01	24
कुल		**229**	**151**	**125**	**30**	**24**	**02**	**561**

विश्लेषण– सर्वेक्षण में शामिल 561 विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय की कुल संख्या 229 (40.81%), उत्क्रमित प्रा0 विद्यालय 151 (26.91%), उत्क्रमित मध्य विद्यालय 125 (22.27%), मध्य विद्यालय 30 (5.34%), उच्च विद्यालय 24 (4.28%), और कस्तुरबा 2 (0.4%) है।

निष्कर्षः– उपरोक्त आँकड़ों से यह पता चलता है कि सर्वेक्षित फेडरेशन प्रखण्ड़ में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है, तत्पश्चात् उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय की संख्या आती है। परन्तु विडम्बना यह है कि इसके बावजूद भी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति दर कम पायी जाती है।

नोटः– महिला समाख्या के अच्छादित गाँवों के ही विद्यालयों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है।

तालिका : 3 विद्यालय के प्रकार

क्र. सं0	संबंधित जिले	आवासीय विद्यालय	गैर आवासीय विद्यालय	कुल
1.	राँची	01	32	33
2.	खूँटी	01	19	20
3.	चतरा	01	68	69
4.	पूर्वी सिंहभूम	02	329	331
5.	प0 सिंहभूम	00	84	84
6.	सरायकेला– खरसावाँ	02	22	24
कुल		**07**	**554**	**561**

विश्लेषणः– उर्पयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित 561 विद्यालयों में आवासीय विद्यालय सिर्फ 07 (1.2%) है जबकि गैर आवासीय विद्यालयों की संख्या 554 (98.75%) है।

निष्कर्षः– सर्वेक्षित फेडरेशन प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय बहुत कम है, जबकि गैर आवासीय विद्यालय की संख्या सबसे ज्यादा है। आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति, गैर–आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति में बहुत अन्तर है। इसलिये फेडरेशन समूह का मानना है कि यदि क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ जाये तो सभी बच्चों का विद्यालय जाना अनिवार्य हो जायेगा। इस प्रकार हम विद्यालय में छिजन के दर को कम कर सकते हैं।

तालिका :– 5 विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधा

क्र. सं0	संबंधित जिले	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
1.	राँची	27	06	03	18	18	12	03	22	30	21
2.	खूँटी	05	02	01	05	13	09	02	08	10	06
3.	चतरा	57	20	03	33	53	50	15	48	52	29
4.	पूर्वी सिंहभूम	305	118	27	139	280	253	–	–	–	–
5.	प0 सिंहभूम	59	36	02	24	60	54	04	53	62	36
6.	सरायकेला–खरसाँवां	10	12	04	15	23	10	03	22	23	14
कुल		**463**	**194**	**40**	**234**	**447**	**338**	**27**	**153**	**177**	**106**

विश्लेषण:– उपरोक्त तालिका से प्राप्त आँकड़े यह बताते हैं कि 561 विद्यालयों में से 463 विद्यालयों में टेबल, कुर्सी, बेंच आदि की सुविधा उपलब्ध है और शेष 98 विद्यालयों में कहीं शिक्षकों के लिए टेबल, कुर्सी का अभाव है तो कहीं विद्यार्थियों के लिए। 194 विद्यालयों में हवादार खिड़कियाँ, 40 में बिजली की सुविधा, 234 में खेल के मैदान, 447 में खेल की सामग्री, 388 में स्वच्छ पेयजल सुविधा, 27 विद्यालयों में चारदीवारी है। इसी प्रकार 153 विद्यालयों की दीवार पक्की है और 177 विद्यालयों का छत भी पक्का है। साथ ही 106 विद्यालयों में शौचालय कांक्रीट का है। शेष विद्यालयों की सुविधा के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्ष:– विद्यालय में मुलभूत सुविधाओं का नहीं होना भी विद्यार्थियों की छीजन का एक कारण है। यदि इन सुविधाओं की उपलब्धता विद्यालय में हो जाये तो शायद हम विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार ला सकते हैं। तथा 2015 के MDGs के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

तालिका :– 6 विद्यालय में शिक्षकगण एवं सेवादाता की संख्या

क्र. सं0	संबंधित जिले	कुल शिक्षक	शिक्षिका	सरस्वती वाहिनी संख्या	अन्य
1.	राँची	53	49	106	3
2.	खूँटी	19	27	21	1
3.	चतरा	265	50	55	04
4.	पूर्वी सिंहभूम	786	100	1343	23
5.	प0 सिंहभूम	173	81	139	06
6.	सरायकेला– खरसावाँ	51	21	75	00
	कुल	**1347**	**328**	**1739**	**37**

विश्लेषणः– कुल 561 विद्यालय में 1347 शिक्षक, 328 शिक्षिका, 1739 सरस्वती वाहिनी/ रसोइया और 37 अन्य (चौकीदार/ चपरासी) की संख्या है। जिसमें 40.80% प्र0 विद्यालय, 26.91% उत्क्रमित प्र0 विद्यालय, 22.27% उ0 मध्य विद्यालय, 5.34% म0 विद्यालय, 4.28% उच्च विद्यालय, एवं 0.4% कस्तुरबा शामिल है।

निष्कर्षः– शिक्षको की संख्या देखने से पता चलता है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तक शिक्षकों की संख्या का अनुपात मात्र 2 शिक्षक प्रति विद्यालय ही है। इस प्रकार देखा जाये तो शिक्षिका की संख्या भी विद्यालय में नही ंके बराबर है जिसके कारण बहुत सी लड़कियाँ विद्यालय से नहीं जुड़ पाती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि विद्यालय में विषयवार शिक्षकों का आभाव है जो पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सरस्वती वाहिनी उपलब्ध होने के बावजूद मध्याह्न भोजन में तुटि पायी गयी है आपसी झगड़े मानदेय अनियमितताओं तथा पैसों की कमी के कारण भी सरस्वती वाहिनी अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय के अन्य कर्मचारी जैसेः– दरबान, चपरासी, सफाई कर्मी आदि की अनुप्लब्धता के कारण भी विद्यालय प्रबंधन प्रभावित होता है।

तालिकाः– 7 विद्यालय में वर्ग के अनुसार मध्याह्न भोजन की उपलब्धता

क्र. सं0	संबंधित जिले	मध्याह्न भोजन की उपलब्धता	मध्याह्न भोजन की उपलब्धता नहीं	वर्ग 1-5	वर्ग 1-8
1.	राँची	32	01	24	08
2.	खूँटी	20	0	17	03
3.	चतरा	68	01	44	24
4.	पूर्वी सिंहभूम	309	22	229	80
5.	प0 सिंहभूम	84	0	58	26
6.	सरायकेला– खरसावाँ	22	02	15	07
कुल		**535**	**26**	**387**	**148**

विश्लेषणः– उपरोक्त आँकड़ा दर्शाता है कि कुल 561 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उपलब्धता है तथा 26 विद्यालय अभी तक इस योजना से वंचित है। 535 विद्यालय जिनमें यह सुविधा उपलबध है, उनमें 387 प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1–5) एवं 148 उत्क्रमित मध्यम विद्यालय (कक्षा 1–8) शामिल हैं।

निष्कर्षः– सर्वे के दौरान यह पाया गया कि लगभग 50% विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं होने के कारण बच्चों की स्थिति बहुत कम पायी गयी। 2–3 विद्यालयों में कुछ दिनों तक मध्याह्न भोजन देने के पश्चात् भोजन देना बंद कर दिया गया। कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी अनियमिततायें भी पायी गयी जैसेः– मध्याह्न भोजन का किसी कारणवश प्राप्त नहीं होना। उदाहरणस्वरूपः– सरस्वती वाहिनी में आपसी मन'–मुटाव, पैसे की कमी, विद्यालय प्रबंधन द्वारा पैसा उपलब्ध नहीं करवाया जाना, बच्चों द्वारा भोजन नहीं लेना आदि हैं। कुछ बच्चों ने भोजन संबंधी साफ–सफाई के बारे में भी शिकायत की।

तालिकाः— 3.8 विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने का स्थान्

क्र. सं0	संबंधित जिले	वर्ग के कमरे में	मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध कमरे	खुले आसमान के नीचे	उपलब्ध भू—खण्ड़ / शेड	अन्य
1.	राँची	—	—	—	—	—
2.	खूँटी	4	2	4	5	4
3.	चतरा	1	17	39	7	1
4.	पूर्वी सिंहभूम	8	26	32	7	5
5.	प. सिंहभूम	43	49	73	91	56
6.	सरायकेला—खरसावाँ					
कुल						

तालिकाः— 8 विद्यालय में शौचालय एवं मूत्रालय की उपलब्धता

क्र. सं0	संबंधित जिले	शौचालय		मूत्रालय	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	राँची	17	16	15	18
2.	खूँटी	6	14	06	14
3.	चतरा	20	49	10	59
4.	पूर्वी सिंहभूम	204	127	187	144
5.	प0 सिंहभूम	36	48	32	52
6.	सरायकेला— खरसावाँ	14	10	13	11
कुल		**297**	**264**	**263**	**298**
प्रतिशत		**52.94**	**47.05**	**46.88**	**53.11**

विश्लेषणः—

1) उपरोक्त आँकड़ा से यह पता चलता है कि कुल 561 विद्यालयों में से सिर्फ 297 (52.94%) विद्यालयों में ही शौचालय उपलब्ध है। जबकि शेष 264 (47.05%) विद्यालयों में शौचालय नहीं है।

2) इसी प्रकार 561 विद्यालयों में से 263 (46.88%) विद्यालयों में मूत्रालय की व्यवस्था है, लेकिन 298 (53.11%) विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें यह सुविधा नहीं है।

निष्कर्षः— उपरोक्त आंकड़े से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालयों में शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या काफी कम है। सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शौचालय में ताला लगाया गया था। जिसके कारण विद्यार्थियों को विशेषकर लड़कियों द्वारा शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण लड़कियाँ दोपहर में शौच के बहाने घर चली जाती हैं।

तालिकाः— 8 विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या तथा पानी की उपलब्धता

क्र. सं.	संबंधित जिले	शौचालय		मूत्रालय		पानी की सुविधा
		लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	
1.	राँची	19	21	16	23	15
2.	खूँटी	06	06	02	02	05
3.	चतरा	23	17	07	04	48
4.	पूर्वी सिंहभूम	189	214	205	234	181
5.	प. सिंहभूम	41	39	34	33	32
6.	सरायकेला—खरसावाँ	14	20	13	16	12
कुल		**292**	**317**	**277**	**312**	**293**
प्रतिशत		**52.04**	**56.50**	**49.37**	**55.61**	**52.22**

विश्लेषणः—

1) उपरोक्त आँकड़ा यह दर्शाता है कि कुल 561 विद्यालयों में लड़कों के शौचालय की संख्या 292 तथा लड़कियों के उपयोग के लिए कुल 317 शौचालय उपलबध है।
2) इसी प्रकार लड़कों के उपयोग हेतु कुल 277 तथा लड़कियों के लिए 312 मूत्रालय उपलबध है। इस प्रकार यदि हम अलग—अलग स्तर के विद्यालयों एवं उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से तुलना करें तो हम पाते है कि शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या काफी कम है।

3) उपरोक्त आँकड़े से यह पता चलता है कि कुल 561 विद्यालयों में से 293 विद्यालयों में पानी की सुविधा है, जिससे चापाकल व अन्य स्त्रोत के द्वारा पूरा किया जाता है, किन्तु 268 विद्यालयों में पानी की सुविधा नहीं है।

निष्कर्षः– प्राप्त आँकड़े से पता चलता है कि विद्यालयों मे शौचालय की संख्या बहुत ही कम है तथा बहुत से विद्यालयों मे शौचालय सुविधा बिलकुल नहीं है जिसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जाने को विवश हैं।

पानी की अनुपलब्धता भी एक कारण है जिसके कारण पेयजल में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा इसके कारण निर्मित शौचालय का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

तालिकाः– 9 शौचालय एवं मूत्रालय हेतु स्थान

क्र. सं.	जिला	खुले मैदान में	परिचित घर	अन्य
1.	राँची	19	01	02
2.	खूँटी	10	-	02
3.	चतरा	26	03	-
4.	पूर्वी सिंहभूम	121	10	09
5.	प0 सिंहभूम	32	01	04
6.	सरायकेला–खरसावाँ	14	-	-
कुल		**222**	**15**	**17**
प्रतिशत		**39.57**	**2.67**	**3.03**

विश्लेषणः– उपलब्ध सर्वे आँकड़ा यह दर्शाता है कि जिन 222 विद्यालयों में शौचालय एवं मूत्रालय उपलब्ध नहीं हैं वे विद्यार्थी खुले मैदान, परिचित के घर तथा अन्य जगहों पर जैसे नदी, नाला, जंगल, झांड आदि में जाने को विवश है।

निष्कर्षः– इन विकट परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों का विद्यालय आना उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता को दर्शाता है किन्तु इन्हीं सब कारणों से विद्यालय में छीजन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है जिसे दूर करना अत्यावश्यक है।

तालिकाः– 10 शौचालय सुविधा का उपयोग

क्र. सं.	जिला	उपयोग	अनुपयोग
1.	राँची	11	22
2.	खूँटी	05	15
3.	चतरा	17	52
4.	पूर्वी सिंहभूम	169	67
5.	प0 सिंहभूम	25	59
6.	सरायकेला– खरसावाँ	04	20
कुल		**231**	**235**

विश्लेषणः– उपरोक्त आँकड़ा यह दर्शाता है कि कुल निर्मित शौचालय एवं मूत्रालय में 231 शौचालय व मूत्रालय का ही उपयोग किया जा रहा है जबकि 235 शौचालय व मूत्रालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

निष्कर्षः– पानी की अनुपलब्धता सफाई नहीं होने के कारण तथा विद्यार्थियों का अन्यत्र जाने की आदत के कारण भी बहुत सारे निर्मित शौचालय का उपयोग नही हो रहा है। साथ ही पेयजल हेतु भी विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चापाकल खराब होने की स्थिति में स्कूल से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। कुछ चापाकल का पानी पीने योग्य भी नहीं है।

तालिकाः– 11 शौचालय सुविधा का उपयोग नहीं होने के कारण

क्र. सं0	जिला	पानी की अनुपलब्धता	सफाई की कमी	अधूरा निर्माण	खुले की आदत	अन्य
1.	राँची	05	01	04	-	01
2.	खूँटी	02	-	01	03	03

3.	चतरा	-	-	15	-	09
4.	पूर्वी सिंहभूम	23	14	29	12	02
5.	प0 सिंहभूम	07	03	14	01	04
6.	सरायकेला–खरसावाँ	06	04	01	-	01
कुल		**43**	**22**	**64**	**16**	**20**

विश्लेषणः– आँकड़ों के मुताबिक (अनुसार) शौचालय व मूत्रालय का उपयोग नहीं करने का कारण प्रशासन की अरूचि, अनभिग्यता, उदासीनता व विद्यालयों के प्रति असंवेदनशील का होना है। प्राप्त आँकड़ों से यह पता चलता है कि जिन विद्यालयों में शौचालय व मूत्रालय का उपयोग नहीं हो रहा है उनमें से 43 (26%) का कहना है कि शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है और 22 (13%) ने कहा कि सफाई नहीं होने के कारण विद्यार्थी उसका प्रयोग नहीं करते है। 38% का कहना हैकि 64 शौचालय अर्द्धनिर्मित है तथा 9.69% ने कहा कि विद्यार्थियों को शौच व मल के लिए खुले में जाने की आदत हे तथा 12% अन्यत्र जाना पसंद करते है।

निष्कर्षः– पानी की अनुपलब्धता, शौचालय का अधूरा निर्माण, शौचालय में सफाई की कमी तथा खुले मे जाने की आदत आदि शौचालय नही प्रयोग करने का बड़ा कारण है, इसलिए सरकार को इनकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान करने की आवश्यकता है ताकि छिजन दर की वृद्धि को रोका जा सके।

परिणाम

1) फेडरेशन प्रखण्ड़ में प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय की संख्या सबसे अधिक पायी गयी है। मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं कस्तूरबा की संख्या अन्य विद्यालयों के तुलना में काफी कम है।
2) महिला समाख्या के आच्छादित फेडरेशन प्रखंड में आवासीय विद्यालयों की संख्या बहुत कम है तथा गैर आवासीय विद्यालयों की संख्या अधिक हैं।
3) कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालय, किसी न किसी सुविधा से वंचित है। विद्यालय भवन की जर्जर अवस्था से कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। जहाँ विद्यालय के लिए भवन उपलब्ध नहीं है, वहाँ शिक्षक बच्चों को वृक्ष के नीचे पढ़ाने को विवश है।

4) पेयजल की उपलब्धता भी सभी विद्यालयों में समान नहीं है। पेयजल की अनुपल्बधता के कारण भी विद्यालय में छीजन की स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार विद्यालय की चारदीवारी भी बहुत ही कम प्रतिशत में पायी गयी है।

5) 561 विद्यालयों के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण तथा विषयवार शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

6) शिक्षकों में अरूचि तथा अनियमितता भी इन विद्यालयों में देखने को मिला। कुछ विद्यालय तो शिक्षकों के अनुपस्थिति के कारण 15–20 दिन बंद रहता है तथा कुछ विद्यालय में शिक्षक हमेशा अनियमित होते हैं।

7) 561 विद्यालयों में से कुल 26 विद्यालयों में माध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं है। इनमें से कुछ विद्यालयों में माध्याह्न भोजन कुछ समय तक मिलता रहा, परंतु अभी सब बंद कर दिया गया है।

8) तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है, शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या काफी कम है। कहीं शौचालय निर्माण अधूरा है, तो कही विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं होने के कारण शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लड़कियों का शौचालय भी सभी जगह उपलब्ध नहीं है।

9) इसी प्रकार लगभग 45 प्रतिशत विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनके कारण बच्चे शौचालय का उपयोग नहीं करते है। लड़कियाँ शौच के बहाने घर चली जाती है तथा पूरा क्लास नहीं करती है।

10) पानी की अनुपलब्धता तथा शौचालय नहीं होने के कारण भी विद्यालय में बच्चों की छीजन की स्थिति ज्यों–की–त्यों बनी हुई है।

11) निर्मित शौचालय में केवल 45% शौचालय का उपयोग हो रहा है, साफ–सफाई नहीं होने के कारण भी शौचालय का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ बच्चों को खुले में जाने की आदत है।

मुद्दा आधारित समूह चर्चा

परिचय:
मुद्दा आधारित समूह चर्चा समूह सर्वेक्षण की एक और विधि है, जिसमें समुदाय के कुछ एक या दो समूह के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को टेप कर लिया जाता है, जिसका विश्लेषण बाद में उनके द्वारा कथन के माध्यम से किया जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया समुदा आधारित होती है तथा वे क्षेत्र के विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत होते हैं इसलिये उनके विचार एवं टिप्पणियाँ सर्वेक्षण विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय सर्वेक्षण में इस पद्धति को शामिल किया गया। संचालक द्वारा प्रत्येक सहभागियों का स्वागत किया जायेगा। चूंकि समुदाय एवं

फेडरेशन समूह क्षेत्र के शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था से भली–भांति परिचित हैं, इसलिये समूह चर्चा (F.G,D,) में उनके विचार एवं भावना से अवगत होना आवश्यक है।

प्रक्रियाः

समूह चर्चा के लिये चयनित समूह का अभिनन्दन किया गया। उनसे कहा गया कि चूँकि वे अपने क्षेत्र से भलि–भांति परिचित हैं तथा वहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं इसलिये उनके विचार इस सर्वे के लिये बहुत महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगे। विद्यालय के वर्तमान स्थिति की व्याख्या करते हुए उनसे कहा गया कि उनके क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन के मुख्य बातों को चर्चा में शामिल करें। यह बैठक लगभग एक घंटा का होगा। समूह चर्चा समाप्त होने के उपरान्त समूह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य समय देने हेतु धन्यवाद कहेंगे। सभी प्रतिभागियों / समुदाय / फेडरेशन समूह के विचारों एवं प्रस्तुत किए गए मन्तव्यों का सम्मान करेंगे।

समूह चर्चा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. विद्यालयों में विद्यमान कमी एवं समस्याओं की पहचान करना।
2. विद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के तथ्यों का सत्यापन कर, महत्वपूर्ण विषय पर समझ बनाना।
3. अन्य मुलभूत सुविधाओं के अभाव को पहचान कर फेडरेशन समूह द्वारा विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबंध को ठीक करने हेतु सही दिशा में कदम उठाना एवं रणनीति तय करना।
4. बच्चों के छीजन के वास्तविक कारणों से परिचित होना।
5. मध्याह्न भोजन / पेयजल एवं शौचालय के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन से अवगत होना।
6. समुदाय, शिक्षक स्टेकहोल्ड एवं विभागीय के संवेदित एवं संवेदनशील करना।
7. पठन पाठन कार्यक्रमों के अन्य विकल्पों की तलाश करना।

बैठक की गोपनीयताः

बैठक में टेपरिकार्डर का प्रयोग किया जायेगा, जिससे गुप्त रखा जायेगा। टेपरिकार्डिंग का मकसद किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नही छोड़ देना है।

समूह के लिये नियमः

समूह चर्चा करने के लिये कुछ नियम बनाने आवश्यक होते हैं। इसलिये मुद्दा आधारित समूह चर्चा शुरू करने से पहले निम्नलिखित नियमों से प्रतिभागियों को पहले ही अवगत करा दिया गया।

1. चर्चा के दौरान समय का ख्याल रखना ताकि चर्चा अधिक लम्बी न हो।
2. किसी के भी कथन को अन्य प्रतिभागी द्वारा टीका–टिप्पणी नहीं किया जायेगा। सभी के विचारों को आदर देना तथा ध्यान से सुनना है।
3. बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप समूह चर्चा के दौरान नहीं होना साथ ही किसी बच्चे को समूह चर्चा में शामिल नहीं करना।

4. समूह चर्चा में व्यक्तिगत समस्याओं या अनावश्यक विषय पर चर्चा नहीं करना।

<u>समूह बैठक में शामिल किए गए प्रश्नः</u>

मोडरेटर द्वारा मुद्दा आधारित समूह चर्चा में प्रश्न पूछें जायेंगे, जिसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होगा। समूह स्वयं के अनुभव के आधार पर अपना विचार रखेगी। चूँकि इस समूह में फेडरेशन से जुड़ी महिलायें तथा कार्यक्रम से जुड़े कर्मी शामिल होंगे जो क्षेत्र की समस्याओं से परिचत हैं। इस कारण से उनके विचार एवं सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं।

1. विद्यालयों में होनेवाले अनियमितता जैसेः–

   1) क्या आपके क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन का कार्य सही तरीके से चल रहा है?
   2) आपके अनुसार विद्यालय सुचारू रूप से चलाने का मापदण्ड क्या है?
   3) विद्यालयों में नामांकित लड़के एवं लड़कियों की संख्या तथा उपस्थिति संख्या में क्या अन्तर है? कारण बताएं।
   4) इन समस्याओं को दूर करने हेतु क्या आपकी ओर से कोई पहल की गयी है?
   5) आपके विचार से इन समस्याओं का निदान किस प्रकार से होना चाहिए?
   6) आपके क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें कमरे या शेड के आभाव में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलता है?
   7) कितने ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम नहीं है?
   8) आपके अनुसार बच्चों के विद्यालय नहीं जाने का क्या कारण है?
   9) क्या विद्यालय में अभिभावक एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं की बैठक होती है? यदि हाँ तो कितने अंतराल में यह बैठक होती है?
   10) कितने ऐसे लडके एवं लड़कियाँ हैं जिन्होने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी?
   11) आपके गाँव में ग्राम शिक्षा समिति कितनी प्रभावशाली है?
   12) क्षेत्र में विद्यालय में सुधार लाने हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अभी तक क्या–क्या काम हुए हैं?
   13) आपके कितने समूह सदस्य ग्राम शिक्षा समिति से जुड़े हैं?
   14) आपके कितने समूह सदस्य सरस्वती वाहिनी से जुड़े हैं?
   15) क्या विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पूर्ण है?
   16) लड़कियों के शिक्षा का स्तर क्या है?
   17) आपके क्षेत्र से कितीन ऐसी बालिका (15–35 वर्ष) जो अभी तक विद्यालय नहीं गयी हैं?

मुद्दा आधारित समूह चर्चा से निकले परिणाम

1) पारा शिक्षकों की उपस्थिति के कारण विद्यालय में अनियमिततायें कम हुई हैं। परन्तु सरकारी शिक्षकों का अधिकतर समय प्रतिवेदन बनाने तथा प्रखण्ड आने–जाने में ही व्यतीत होता है।

2) बच्चों की कुल संख्या के मुकाबले में शिक्षकों का अनुपात काफी कम है जिससे बच्चों को संभालने तथा विद्यालय संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

3) मात्र 10 प्रतिशत समूह सदस्य ही ग्राम शिक्षा समिति में शामिल है। अधिकांश स्थानों पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सही रूप से नियमों का पालन नहीं करने जैसेः–
   - बैठक नहीं करना।
   - सदस्यों को बैठक में शामिल नहीं करना।
   - ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय सचिव की मिली भगत से सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर कोरम पूरा करने के कारण, समूह समिति में अपनी बात नहीं रख पाती है।

4) समूह के प्रयास से लगभग 30 प्रतिशत बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में कराया जा चुका है।

5) मुद्दे आधारित समूह चर्चा में ये बात भी निकल कर आयी कि विकलांग बच्चों को अबतक स्थानीय विद्यालयों से जोड़ा नहीं गया है।

6) कुछ गाँवों में समूह के हस्तक्षेप द्वारा विद्यालय के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार आया है। समूह के डर से किसी प्रकार की अनियमिततायें नहीं हो रही हैं और अब स्वयं शिक्षक एवं संयोजिका समूह को विद्यालय अनुश्रवण के लिये बुलाते हैं।

7) मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं इसके प्रबंधन को लेकर समुदाय के बीच असंतोष पाया गया। साथ ही चावल की खराब गुणक्ता एवं पकाये गये भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत भी की गयी जिसके कारण बच्चे भोजन लेने से इंकार कर देते हैं। इसके कारण भी बच्चों का जुड़ाव विद्यालय से नहीं हो पाता है।

8) समूह चर्चा के दौरान यह बात भी उभर कर आयी कि सरस्वती वाहिनी के आपसी झगड़े एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आती हैं।

9) चर्चा में यह भी पता चला कि अधिकतर विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति संख्या नामांकित बच्चों की संख्या से बिलकुल आधा होता है। और कहीं कहीं तो आधी संख्या भी देखने को नहीं मिलती है।

10) पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी बच्चों एवं जागरूक माता–पिता में रोष है। इस संदर्भ में उनका कहना था कि पाँचवीं वर्ग के बच्चे तक को दूसरों का नाम लिखना कहने पर वे असमर्थता जाहिर करते हैं। बच्चे अपने घर का पता बताने में भी असमर्थ हैं।

11)ज्यादातर बच्चे मध्याह्न भोजन के कारण विद्यालय आते हैं और भोजन के पश्चात् वे घर चले जाते हैं। माता–पिता भी एक समय का भोजन प्राप्त होनें पर आश्वस्त हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता है।

12)उग्रवादियों द्वारा विद्यालय में कब्जा होनें पर तथा उनके रहने खाने की व्यवस्था के कारण भी बच्चे को 10–15 दिनों तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। जो बच्चों के छीजन के कारण होते हैं।

13)कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु ना हीं कमरा है और ना ही किचन शेड उपलब्ध है। वह खुले आसमान के नीचे खाना बनाने के लिये विवश हैं। ज्यादातर इसकी आवश्यकता बरसात के मौसम में तथा आँधी–तूफान आने की स्थिति में महसूस होती है। इसके कारण मध्याह्न भोजन की स्वच्छता भी प्रभावित होती है।

14)बच्चों में छीजन के कारण फेडरेशन समूह द्वारा निम्नलिखित विवरण दिया गया:–

- माता–पिता द्वारा घरेलू कामकाज का बोझ बच्चों पर डालना,
- छोटे बच्चों की देखरेख,
- बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करने में झिझक,
- माता–पिता को आर्थिक रूप से मदद करने हेतु मजदूरी करना एवं लड़कियों द्वारा शहर जाकर घरेलू कार्य करना,
- कुछ बच्चों की पढ़ाई में इच्छा होते हुए भी परिवारिक दबाव के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं,

निष्कर्ष

स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण पर भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि वित्तीय आबंटन के आँकड़ों पर गौर करे तो हम पाऐंगे कि सबसे अधिक वित्तीय धन का व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य में किया जा रहा है। बहुत सारी नयी पुरानी परियोजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है।

परंतु विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा पर विशेष जोर दिये जाने के बावजूद आज की शिक्षा प्रणाली में गुणवतापूर्ण सुधार नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन दशकों में जिन उपलब्धियों की अपेक्षा थी वह देखने को नहीं मिली है। इसके कारणों को यदि सूचीबद्ध किया जाए तो हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिनमें विभागीय अनियमितताओं के साथ–साथ शिक्षकों एवं अभिभावकों की शिक्षा के प्रति लापरवाही देखने को मिलती है। इन सब कारणों के लिए कोई एक परिस्थिति, व्यक्ति या विभाग जिममेवार नहीं है, वरन् शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण नहीं किया जाना, लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नही

किया जाना, विद्यालय की दूरी तथा विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अनदेखा करना आदि शामिल हैं। इक्कीसवीं सदी में देश का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने का प्रमुख कारण शिक्षकों में असंतोष, शिक्षकों की संख्याओं में कमी, गिरता शैक्षणिक स्तर, भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति, समाज के ठेकेदार आदि विशेषकर जिम्मेदार है।

चूंकि यह सर्वेक्षण विशेषकर विद्यालय में मूलभूत सुविधा एवं स्वास्थ्य जागरूकता को ध्यान में रख कर की गयी है। इसलिए इनमें कुछ विशेष मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जैसे – विद्यालय की वर्त्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधा, मध्याह्न भोजन, शौचालय को उपलब्धता (छीजन का विशेष कारण) को ध्यान में रखते हुए सर्वे प्रपत्र का विकास किया गया है।

प्राप्त परिणाम को यदि ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि कुछ विद्यालय में शिक्षकगण अभी भी बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए विवश है। इसका कारण विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति, विद्यालयों के लिए जमीन की अनुपलब्धता तथा विद्यालय के लिए भवन का न होना है।

अन्य मूलभूत सुविधा जैसे– पंखा, हवादार खिड़की, बिजली, पानी, शौचालय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाई के लिए सही वातावरण नहीं मिल पाता है। जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरूचि जागृत होती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय प्रबंधन में अनियमितताएँ (जैसे– विद्यालय का 15 दिनों तक बंद रहना) भी विद्यार्थियों के छीजन का कारण है।

बड़े विद्यालयों में जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है, उनमें कुछ ही शिक्षकों द्वारा उनको पढ़ना भी पढ़ाई के गुणवता को प्रभावित करते हैं और बच्चें में भी अरूचि जगती है।

संक्षेप में हम यह कह सकते है कि यदि विद्यार्थियों की रूचि को बरकरार रखना है तो शिक्षा पद्धति के नये तरीकों को अपनाने की जरूरत है ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटे नहीं। अभिभावकों को भी अच्छे परामर्श व जागरूकता अभियान के जरिये एवं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षकों में गुणवत्ता विकास हेतु समय – समय पर अभिमुखीकरण कार्यशाला एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे उनकी मनोवृति व कार्यशेली में परिवर्त्तन आए। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु विषयवार शिक्षक को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में विषयानुसार अच्छी पकड़ बन पाए। इसके साथ–साथ विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं को अनदेखा नहीं करके, जल्द से जल्द प्रत्येक सुविधाओं को मुहैया कराया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। समग्र रूप से यह कहना उचित होगा कि विद्यालय प्रबंधन एवं इसकी तकनीकी पर जोर देने के उपरांत ही हम विद्यालय शिक्षा की उच्चस्तरीय स्तर एवं MDGs के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

सर्वे से प्राप्त प्रमुख टिप्पणीयाँ

1) विद्यालय में शौचालय एवं मूत्रालय की अनुपलब्धता है। कुछ शौचालय तथा मूत्रालय निर्माण की प्रक्रिया में है तो कुछ को अधुरा बनाकर छोड़ दिया गया है। (13%)

2) विद्यालय में खेल मैदान नहीं है।

3) विद्यालय में पानी का अभाव है, जिसके कारण भी विद्यालयों में बच्चों की अनुपस्थिति रहती है।

4) विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव जैसे :– चारदीवारी का अभाव, बिजली की असुविधा, विद्यालय का साफ – सुथरा न होना, खेल सामग्री का न होना, बेंच, टेबल, कुर्सी आदि।

5) विद्यालय भवन का अधुरा निर्माण, जर्जर अवस्था, भवन/कक्षा का न होना, जमीन की अनुपलब्धता। (1.78%)

6) विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, उपस्थिति अनियमिताएँ, जिसके कारण विद्यालय अधिक दिनों तक बंद रहता है या फिर बिना शिक्षक के बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। यह भी एक कारण है कि बच्चे भी अनियमित होते हैं। (4.45%)

7) शौचालय में सफाई नहीं होने के कारण या फिर बाहर जाने की आदत के कारण, विद्यालयों के शौचालय का उपयोग छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है। (0.356%)

8) लगभग 1.42% विद्यालयों का परिसर एवं वहाँ की व्यवस्था एवं सुविधाएँ सही पायी गयी।

9) कुल 26 (4.63%) विद्यालयों में किचन शेड या कमरे उपलब्ध नहीं है।

10) विद्यालय जिसमें मध्याह्न भोजन की सुविधा नहीं है अथवा कुछ दिनों तक चलने के पश्चात् बंद कर दिया गया हो, उसका प्रतिशत (0.356%) है।

11) विद्यालयों में बच्चों को श्रेणीवार नहीं बाँटा गया है तथा कुछ विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों दोनों की संख्या में कमी पायी गयी।